29/12/15 प्रा. पेश हुई। वकील वादी अनु0। वादी एवं वकील वादी से साक्ष्य दाखिल होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई परंतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मध्यहन पश्चात पुनः आवाज लगवाई गई तत्पश्चात वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं हुये अतः दावा वादी अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली अभिलेख हो, नकल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर